

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 79-2020/Ext.]

CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 9, 2020 (JYAISTHA 19, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जून, 2020

क्रमांक 1/4/2020—आर०—II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप—धारा (1) के खण्ड (ग) से (छ), उप धारा (2), (4) तथा (7) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 1/4/2020—आर.—II, दिनांक 22 अप्रैल, 2020 के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

ानम्ताराज्य १२३ १ व. १, १००५ १ ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

1. व नियम ११ में, उप—नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा। 2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में, नियम ११ में, उप—नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा।

> एस० एन० राय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 9th June, 2020

No. 1/4/2020-R-II.— In exercise of the powers conferred by clauses (c) to (g) of Sub-section (1) of Section ub-sections (2) (4) and (7) (24 of 1073) 257, Sub-sections (2), (4) and (7) of Section 257 and Section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973). and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification No. 1/4/2020-R-II, dated 22nd April, 2020, the Governer of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election B. 1, 1020 Municipal Election Rules, 1978, namely:-

- These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2020.
- In the Haryana Municipal Election Rules, 1978, in rule 21, sub-rule (3) shall be omitted. 2.

S. N. ROY, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

8799-C.S.-H.G.P., Pkl.